संख्या-30/2021/एस-41/38-2-2021-एस-41/2021

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-2** **लखनऊ: दिनांक 16 मार्च, 2021**

विषय:- दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के मानक मद 49-चिकित्सा व्यय मद में धनराशि के पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-538/1/प्रशि0/बजट आवंटन/(4)/2020-21, दि0 09-02-2021 एवं पत्र संख्या-601/1/प्रशि0/बजट आवंटन/(4)/2020-21, दि0 19-02-2021, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के मानक मद 01-वेतन मद" में हो रही बचतों में से उसी लेखाशीर्षक की मानक मद 49-चिकित्सा व्यय" में धनराशि रू0 12.00 लाख (रूपये बारह लाख मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों को ध्यान में रख कर ही किया जायेगा। आवंटित धनराशि के किसी अंश का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

(2) बचत की मद में पुन: धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) पुनर्विनियोजित धनराशि का व्यय संबंधित मदों में ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में नियम संगत रूप से किया जायेगा तथा अनुपयोगिक धनराशि वित्तीय वर्षान्त में सुसंगत लेखाशीर्षक में राजकोष में जमा की जायेगी।

(4) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता, स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपभोग किये जाने में अन्य वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) इस निमित्त होने वाला व्यय अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित मद तथा मानक मद के नामें डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/ 2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

**संख्या-30/2021/एस-41(1)/38-2-2021 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी ।
4- निदेशक, वित्तीय/सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)**

**वित्तीय वर्ष 2020-21..... प्रपत्र बी0एम0 9(भाग-1)**

**अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)** **(धनराशि लाख रूपये में)**

| **निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण** | | | | **वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड) आयोजनेत्तर** | **आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग** | **आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत** | **संक्रमित की जाने वाली धनराशि** | **वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि** | **संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनयोग** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (2-5) |
| लेखाशीर्षक-2515-102-04-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब,लखनऊ -01-वेतन | 640.00 | 198.83 | 12.00 | 12.00 | 628.00 |
| योग | **640.00** | **198.83** | **12.00** | **12.00** | **628.00** |

| **निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण** | | | | **वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड) आयोजनेत्तर** | **वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग** | **वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय** | **संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)** | **वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि** | **संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनयोग (8+11)** |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| लेखाशीर्षक-2515-102-04-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब,लखनऊ-49-चिकित्सा व्यय | 8.00 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 |
| योग | **8.00** | **20.00** | **12.00** | **12.00** | **20.00** |

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

1- संस्थान कई कार्मिकों के सेवानिवृत्ति के उपरान्त पद रिक्त होने तथा आयोग द्वारा सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के पदों को न भरे जाने के कारण बचत उपलब्ध है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अधिक व्यय संस्थान के 49-चिकित्सा व्यय मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण से है।

3- प्रमाणित किया है कि उक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअलके प्रस्तर-150, 151 व 155 में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

**संख्या-आर0ई0-473-यू0ओ0-ई-2-208/दस-2021, दि0 09 मार्च, 2021**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उ0प्र0, इलाहाबाद।

रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।

फूलचन्द यादव
अनु सचिव, वित्त विभाग।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या-30/2021/एस-41(1)/38-2-2021 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय/सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।